Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में पर्यावरण सम्बन्धी कानून एवं नीतियों का अध्ययन

डॉ. नीतू*

* असिस्टैंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) श्री गुरूनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता, ऊधम सिंह नगर (उत्तराखंड) भारत

प्रस्तावना – पर्यावरण शब्द परि+आवरण शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा आवरण जिसके चारों ओर से हम घिरे हुये होते है। अर्थात् हम अपने चारों ओर जिन जीव जन्तुओं, पेड़-पौधो व अन्य अनेक सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को देखते या महसूस करते है, उनसे बने वातावरण को ही पर्यावरण कहते है। इसमें वातावरण या पर्यावरण के अतिरिक्त जलमण्डल, थलमण्डल तथा वायुमण्डल भी सम्मिलित रहते हैं। किसी भी स्थान के भौतिक, जैविक, अजैविक घटको से बने संसार को उस स्थान का पर्यावरण कहते है।

भारतीय संविधान जो 1950 में लागू किया गया था, परन्तु इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जोड़ा गया था। सन् 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर, दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48ए तथा 51ए (जी) जोड़ दिये। अनुच्छेउ 48ए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा, वनो की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा एवं उसमें सुधार सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 51ए (जी) नागरिको को कर्त्तव्य प्रदान करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, सभी जीवधारियों के प्रति दयालु बने एवं उसका संवर्धन करे।

पर्यावरण संरक्षण में कानून व नियम का महत्वपूर्ण योगदान निम्न हैं-

1. जल अधिनियम, 1974-1977 :- जल प्रदूषण में उद्योगों की वृद्धि तथा शहरीकरण की बढ़ती प्रवृति के फलस्वरूप हाल ही के वर्षो में नदी तथा दरियाओं के प्रदूषण की समस्या काफी महत्वपूर्ण बन गई है। अत: इसे घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्त्राव उस जल में नहीं मिलने दिया जाऐं, जो पीने के पानी के स्त्रोत, कृषि उपयोग तथा मत्स्य जीवन के पोषण के योग्य हो, नदी व दरियाओं का प्रदूषण भी देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर हानि पहुँचाने का कारण बनता है।

यह अधिनियम 26 मार्च, 1974 से पूरे देश में लागू किया गया। यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है, जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वह जल प्रदूषण को रोके तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करे। इस कानून ने एक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो की स्थापना की। इस कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को पानी में मिला देता है, तो उसे कानून में निर्धारित दंड दिया जायेगा।

जल प्रदूषण को रोकने में जल अधिनियम, 1977 भी एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे राष्ट्रपति ने दिसम्बर, 1977 को मंजूरी प्रदान की। जहाँ एक ओर यह जल प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है, वहीं जल प्रदूषित करने पर दंड का प्रावधान भी करता है।

यह अधिनियम केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण बोर्डो को निम्न शक्तियाँ प्रदान करता है:-

1. किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार।
2. किसी भी जल में छोड़े जाने वाले तरल कचरे के नमूने लेने का अधिकार।
3. औद्योगिक ईकाइयाँ तरल कचरा तथा सीवेज के तरीकों के लिए बोड से सहमति ले।

2. वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 :- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ताा और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। यह अधिनियम 29 मार्च, 1981 को पारित हुआ तथा 16 मार्च, 1981 से लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यत: मोटर-गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएँ और गंदगी को नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत केन्द्रीय बोर्ड को मुख्यत: राज्य बोर्ड के काम में तालमेल बैठाने का अधिकार दिए गये है।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार व केन्द्र सरकार दोनों को ही निम्न शक्तियाँ प्रदान की गई है-

1. वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना।
2. प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना।
3. अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन की जाँच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार।
4. अधिनियम के प्रावधानों को उलंघन करने वालो के विरूद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार।
5. प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार।

3. वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 :- वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम इसमें सर्वप्रथम सन् 1952 में भारतीय वन्यजीवन बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के अन्तर्गत वन्य-जीवन पार्क और अभायारण बनाए गए। 1972 में भारतीय वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि, उद्योगों और शहरीकरण से वनों के कटाव को रोका जा सके। वनों के अधिक कटाव से अनेक वन्य जन्तुओं की कई

प्रजातियाँ लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह अधिनियम प्रारम्भ किया है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है:

1. चिड़ियाघरों व अभयारण्यों में वंश वृद्धि करना।
2. राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा अभयारणयों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना।
3. संकटग्रस्त पौधो को संरक्षण प्रदान करना।
4. संकटग्रस्त वन्यप्राणियों की सूची बनाना तथा उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना।
5. वन्यजीवन के लाभों की जानकारी का शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना।

4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 :- भारत सरकार न वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश कदादे रोकना है देश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय वन नीति 1952 घोषित की गई लेकिन वनों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक होने से वन संरक्षण को भी बल मिला। सन् 1951 से 1980 के बीच वन भूमियों का अपरदन 1.5 लाख हैक्टेयर प्रति वर्ष था अब इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भूमि का अपरदन 55 हजार हैक्टेयर हो गया है।

इस अधिनियम में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है-

1. वन सम्बंधी योजनाएँ इस प्रकार हो ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले।
2. वनों की कटाई जहाँ तक सम्भव हो रोका जाना चाहिए।
3. पशुओं के लिए चारागाहों को ध्यान रखना चाहिए व चारे उत्पादन हेतु विशेष प्रावधान किया जाने चाहिए।
4. कुछ समय के लिए वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि कुछ समय में पुन: पेड़-पौधे उग सके।
5. पहाड़ों, जल क्षेत्रों, ढ़लान वाली भूमियों पर वनों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

5. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून :- भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग अधिनियम का प्रावधान नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु तथा जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, 2000 पारित किया गया है। ध्वनि प्रदूषकों को अपराधिक श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 तथा 290 का प्रयोग किया जा सकता है।

6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 :- सर्वप्रथम 5 जून, 1972 में स्टॉकहोम में सम्पन्न हुआ। इसी सम्मेलन को देखते हुए, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया, यह एक बहुत बड़ा अधिनियम है। जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं है। जिन्हे 4 अध्यायों में बाँटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवम्बर, 1986 से लागू किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है-

1. मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को संकट से बचाना।
2. पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एंव व्यापक विधि निर्मित करना।
3. पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना।
4. विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना।
5. मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना।

7. जैव-विविधता संरक्षण, अधिनियम 2002 :- सरकार ने जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया। इस कानून का उद्देश्य है जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए। भारत विश्व में जैव-विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर है। भारत में लगभग 45000 पेड़-पौधों व 81000 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। जो विश्व की लगभग 7.1 प्रतिशत वनस्पतियों तथा 6.5 प्रतिशत जानवरों की प्रजातियों में से है।

जैव विविधता कानून, केन्द्रीय सरकार को निम्न दायित्व भी सौपता है-

1. उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव जांचना जिनसे जैव विविधता को हानि पहुँचने की आशंका हो।
2. स्थानीय लोगों की जैव विविधता संरक्षण की परम्परागत विधियों की रक्षा करना।
3. जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8. राष्ट्रीय जलनीति, 2002 :- राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की। जल मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है-

1. जल के बेहतर उपयोग व बचत के लिए जनता में जागरूक बढ़ाने की बात कही गई है।
2. जल बंटवारे की प्रक्रिया में प्रथम प्राथमिकता पेयजल को दी गई है।
3. इसमें पहली बार जल संसाधनो के विकास की बात कही गई है।

9. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 :- राष्ट्रीय पर्यावरण नीति वर्तमान नीतियों का एकीकरण करती है। न्यायालय द्वारा पर्यावरण से हुई नुकसानी के लिए राहत और दुर्घटना से प्रभावी रूप से शीघ्र निपटने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति चलाई गई।

इस अधिनियम में निम्न उद्देश्य इस प्रकार है-

1. प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ्य पर्यावरण का अधिकार है।
2. सत्त विकास का केन्द्र बिन्दु मानव है।
3. विकास के अधिकार की प्राप्ति पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
4. स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली बनाना।

10. वन अधिकार अधिनियम, 2006 :- वन अधिकार अधिनियम 18

दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया है। यह कानून जंगलो में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न है–

1. विस्थापन की स्थिति में उनके पुर्नस्थान का प्रावधान करता है।
2. जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागिदारी सुनिश्चित करता है।
3. जंगलों में रहने वाले लोगो तथा जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है।
4. पशु चराने तथा जल संसाधनों के प्रयोग का अधिकार देता है।

सुझाव :–

1. देश में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उससे सम्बन्धित कानूनों को कड़ाई से लागू करे।
2. स्कूल, कॉलेजो, विश्वविद्यालयों में प्रदूषण एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ताकि छात्रों को इसकी जानकारी हो सके और वे इसे अपना ले।
3. रेडियो और दूरदर्शन से प्रत्येक दिन 5 से 7 मिनट का प्रोग्राम प्रसारित किया जाना चाहिए तथा सप्ताह में एक बार इस पर एक लंबा प्रोग्राम दिखाया जाना चाहिए।
4. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कार्य होना चाहिए कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उन सबकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।
5. वन संरक्षण अधिनियम में कानून को कड़ाई करना चाहिए ताकि वनों के कटाव पर रोक लगा सके। आज भी चौड़ी सड़को के लिये पेड़ काटे जा रहे है। जिसके कारण लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदूषण के कारण ही बहरापन, विकलांगता, अंधापन, कैंसर, अस्थमा आदि बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे है।

निष्कर्ष – हमारी नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती है। पर्यावरणीय सम्बन्धी अधिनियम तो है पर इसका सुचारू रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। भारत में पर्यावरणीय की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नाले, नदियाँ तथा झीलें, औद्योगिक कचरे से भरी है। दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बनकर रह गई है। वन क्षेत्र में कटाव लगातार बढ़ता रहा है। जिसके परिणाम में हमें हाल ही में बिहार में आई भीषण बाढ़ के रूप में स्पष्ट देखने को मिला है। भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों को लागू किया गया है, उसे देखते हुए लगता है कि इन कानूनों के महत्व को समझा ही नहीं गया है। पर्यावरण नीति को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयासों में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शशि शुक्ला एवं एन0के0तिवारी:– पर्यावरण एक परिचय, राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
2. हमारा पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण समिति दिल्ली, पृष्ठ–45
3. तपन बिसवाला, मानवाधिकार, जेनूर एवं पर्यावरण, वीबा, 2008

****